तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 90/2024 **सत्यवीर बनाम मनकोरी** **प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम अजाड़ी कला पटवार हल्का अजाड़ी कला तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 234 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 235 रकबा 0.48 है0, खसरा नं. 236 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 237 रकबा 0.44 है0 किता 4 का कुल रकबा 1.82 है0 भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 3 के पिता व अप्रार्थिया 1 के पति का नाम देबूराम पुत्र नौरंगराम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वास्तविक नाम देबूराम पुत्र लिखमाराम है जिसे दुरूस्त किया जाये। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों यथा मतदाता पहचान पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 3 के पिता व अप्रार्थिया 1 के पति का नाम देबूराम पुत्र लिखमाराम साबित होता है। अतः बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अजाड़ी कला पटवार हल्का अजाड़ी कला तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 234 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 235 रकबा 0.48 है0, खसरा नं. 236 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 237 रकबा 0.44 है0 किता 4 का कुल रकबा 1.82 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 3 के पिता व अप्रार्थिया 1 के पति का नाम देबूराम पुत्र नौरंगराम की बजाय देबूराम पुत्र लिखमाराम दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। 31/12/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner